

प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार ने (i) मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से **3,000 करोड़ रुपये** (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए '**4.26% सरकारी प्रतिभूति 2023**', (ii) मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से **14,000 करोड़ रुपये** (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए '**6.10% सरकारी प्रतिभूति, 2031**' और (iii) मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से **9,000 करोड़ रुपये** (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए '**6.76% सरकारी प्रतिभूति 2061**' की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूति/प्रतिभूतियों में 6,000 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा **03 सितम्बर, 2021 (शुक्रवार)** को संचालित की जाएगी।

2. प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।

3. नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में **03 सितम्बर, 2021** को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4. नीलामियों के परिणाम की घोषणा **03 सितम्बर, 2021 (शुक्रवार)** को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान **06 सितम्बर, 2021 (सोमवार)** को किया जाएगा।

5. ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं.आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी "केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेनदेन-" संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार "कब निर्गमित" कारोबार के लिए पात्र होंगे।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग, नार्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 27 अगस्त, 2021